परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था अणुशक्तिनगर, मुंबई- 400 094 ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCEITY ANUSHAKTINAGAR, MUMBAI - 400 094

मकान किराया भत्ता आहरण के लिए आवेदन-पत्र APPLICATION FOR DRAWAL OF HOUSE RENT ALLOWANCE

_			
1	कर्मचारी का नाम	:	
	Name of the employee		
2	कर्मचारी पहचान सं. / EMPID	:	
3	पदनाम / Designation	:	
4	विद्यालय/केन्द्रीय कार्यालय	:	
	School/Central Office		
5	प.ऊ.शि.सं./प.ऊ.के.वि. में कार्यग्रहण की	:	
	तिथि (प्रारंभिक नियुक्ति)		
	Date of joining in AEES (Initial		
	appointment)		
6	कें.का./पऊकेंवि/क.महाविद्यालय, मुंबई में	:	
	कार्यग्रहण की तिथि / Date of joining in		
	C.O.AEES/AECS/JC, Mumbai		
7	क्या आप म.कि.भ. प्राप्त कर रहे हैं, यदि हां तो	:	
	किस तारीख से / Whether in receipt of		
	HRA, if so from which date		
8	आवासीय पता / Residential Address	:	
9	पिछला पता / Previous Address:		
10			
10	उक्त पते पर किस तारीख से रह रहे हैं Date	:	
	from which staying in the above		
	address		

शेरा : यदि पता बदल गया है, तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ संशोधन का समर्थन किया जा सकता है।

Remarks: In case the address is changed, the revision may be supported with required documents.

मकान किराया भत्ता आहरण के लिए प.ऊ.शि.सं. के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY AEES EMPLOYEES FOR DRAWAL OF HOUSE RENT ALLOWANCE

- प्रमाणित करता/करती हूँ कि भत्ता हेतु दावा की गई अवधि के दौरान मुझे सरकारी आवास (मैंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास के लिए आवेदन किया किंतु) प्रदान नहीं किया गया है/(मैंने सरकारी आवास का आबंटन स्वीकार नहीं किया है)। /I certify that I (have applied for the Government accommodation in accordance with the prescribed procedure but) have not been provided with Government accommodation/ (have refused the allotment of Government accommodation) during the period in respect of which the allowance is claimed.
- 2. प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं, मेरे/मेरी पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री/पिता/माता/हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें मैं एक सहवारिस हूँ द्वारा किराए पर लिए गए/स्वामित्व मकान में रह रहा/रही हूं। / I certify that I am residing in a house hired/owned by me/ my wife /husband/ son/daughter/father/mother/ a Hindu undivided family in which I am a coparcener.
- 3. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मकान किराये पर मासिक राशि व्यय कर रहा/रही हूँ/किराये में योगदान दे रहा/रही हूँ। / I certify that I am incurring monthly expenditure on rent / Contributing towards rent अथवा / Or

प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे स्वामित्व/हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें मैं एक सहवारिस हूं तथा जिसमें मैं रह रहा हूँ द्वारा स्वामित्व मकान का किराया मूल्य कार्यालय ज्ञापन सं. F. 2(37)-E.II(B)/64, दिनांकित 27.11.65 के पैरा 7 में विनिर्दिष्ट नीतियों के अनुसार अभिनिश्चनीय है। प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं मकान या संपत्ति कर हेतु भुगतान/योगदान कर रहा/रही हूं।/ I certify that the rent value of the house owned by me/ owned by a Hindu undivided family in which I am a coparcener and in which I am residing is ascertainable in the manner specified in para 7 of O. M. No. F. 2(37)-E.II(B)/64, dated 27.11.65. I certify that I am paying / contributing towards house or property tax

- 4. प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं केन्द्र सरकार, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि द्वारा मेरे माता-पिता(बच्चे) या पत्नी(पित) को आबंटित आवास / अन्य सरकारी कर्मचारी को निःशुल्क आबंटित आवास साझा नहीं कर रहा/रही हूं। / I certify that I am not sharing accommodation allotted to my parent(child) or wife(husband) by the Central Government, an autonomous public undertaking or Semi Govt. organisation like Municipality, Port Trust etc., / allotted license fee free to another Government Servant.
- 5. प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे पित/मेरी पत्नी/माता-पिता/बच्चे, जो केन्द्र सरकार, स्वायत्त निकाय, सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि के अन्य कर्मचारी को आबंदित आवास मेरे साथ साझा कर रहे हैं वे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय, सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि से मकान किराया भत्ता नहीं ले रहे हैं । / I certify that my husband/ wife/ parents/ children, who is / are sharing accommodation with me allotted to another employee of the Central Govt. autonomous, public undertaking or Semi Govt. organization like Municipality, Port trust etc., is / are not in receipt of House Rent allowance from the Central Govt. / State Govt./autonomous public undertaking or Semi Govt. organization like Municipality, Port Trust Etc.
- 6. यह भी प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरी पत्नी/ मेरे पित को केन्द्र सरकार, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि द्वारा उसी केन्द्र पर परिवार आवास आबंटन नहीं किया गया है। / I also certify that my wife/ husband has not been allotted family accommodation at the same station by the Central Govt., an autonomous public undertaking or Semi-Govt. organisation such as Municipality, Port Trust etc.

7.	मैं जिस आवास में रहता/रहती हूं वह है / I stay in a residence which is :			
क)	मेरे नाम/मेरे के नाम से किराये का मकान			
	(पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री इत्यादि)			
a)	Rented in my name/ in the name of my(Spouse / son/ daughter etc.)			
\	परे नाम/मेरे के नाम से अर्जित एवं स्वामित्व ।			
এ)	भर नाम/मर (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री इत्यादि)			
b)	Acquired and owned in my name/ in the name of my			
	(Spouse /son/daughter etc.)			
ग) c)	,			
8. प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं मकान किराया पर कुल राशि व्यय/किराया हेतु योगदान दे रहा/रही हूं। Certify that I am incurring some expenditure on rent/ contributing towards rent.				
	हस्ताक्षर/Signature			
	नाम/Name			
	पदनाम/Designation			
	विद्यालय/School			
	दिनांक/Date			

नोट/NOTE: जो लागू नहीं है उसे काट दे /Strike out whichever is not applicable. उपर्युक्त विवरण सेवा पुस्तिका से सत्यापित की गई तथा सही पाया गया।

The above details have been verified with the service book and found correct.

अनुभाग अधिकारी /प्रधानाचार्य, प.ऊ.कें.वि.- /कनि.महाविद्यालय, मुंबई Section Head/PRINCIPAL-AECS/JC, MUMBAI

आवश्यक कार्रवाई हेतु. स.प्र.अ (स्थापना), प.ऊ.शि.सं. को अग्रेषित / Forwarded to Establishment Section of AEES, Mumbai for necessary action.

अनुलग्नक / ENCLOSURES:

- 1. आबंटन आदेश की एक प्रति (यदि अन्य कर्मचारी को आबंटित सरकारी आवास साझा कर रहे है तो) /A copy of allotment order (if sharing Govt. accommodation allotted to another employee).
- 2. पति-पत्नी/बच्चे/माता-पिता, जो अन्य कर्मचारी के लिए आबंटित आवास आवेदक के साथ साझा कर रहें हैं, अन्य संगठन से मकान किराया भत्ता नहीं ले रहे है दर्शाने हेतु नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र । / A certificate from the employer to the effect that spouse/ children/ parents who are sharing accommodation which the applicant allotted to another employee is not in receipt of house rent allowance from the other organization.

नोट / NOTE:

- 1. मकान किराया भत्ता आहरण हेतु उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात् जनवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान जमा किया जाना चाहिए। / The above certificate should be submitted for every financial year, i.e. during the first week of January, for drawal of HRA.
- 2. यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास के लिए पात्र नहीं है या उनका मामला कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 27 नवम्बर 1965 के पैराग्राफ 4(बी) के अंतर्गत टिप्पणी के अधीन है या वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 11011/1/E.II(B)/75, दिनांकित 25 फरवरी, 1977 के अनुसार मकान किराया भत्ते की पात्रता हेतु सरकारी आवास के लिए आवेदन करना जहां बाध्यकर नहीं है, तो कोष्ठक में दर्शाए गए शब्दों को हटा लिया जाए। / The words shown in brackets may be omitted if the government servant is no eligible for Government accommodation or if his case is covered by Note under paragraph 4(b) of the O.M. dated 27th November, 1965, or where it is not obligatory for him to apply for government accommodation for eligibility for house rent allowance in terms of Ministry of Finance O.M. No. 11011/1/E.II(B)/75, dated 25th February, 1977.
- 3. स्वयं के मकान या हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें वह एक सहवारिस हैं द्वारा स्वामित्व मकान में रह रहे सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। / To be furnished by a Government servant living in his own house or in a house owned by a Hindu undivided family in which he is a coparcener.
- 4. अन्य सरकारी कर्मचारी जो पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पिता या माता के रूप में मकान स्वामित्वधारी सरकारी कर्मचारी के साथ आवास साझा कर रहा/रही है द्वारा प्रस्तुत किया जाए। / To be furnished by another Government servant being the wife, husband, son, daughter, father or mother of the Government servant owing the house who is sharing accommodation with the later.
- 5. यह आवेदन केवल मुंबई स्थित प.ऊ.के.वि / महाविद्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालय प.ऊ.शि.स मुंबई के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं। / This application is prescribe only for employees of AECS/JC & Central Office AEES at Mumbai Centre.